न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 107/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/321**
दायर दिनांक :– 04.05.2022 **निर्णय दिनांक :– 11.02.2025**

1. मीरा पत्नी सोहनलाल जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. राजी पत्नी घमूराम जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. एलची पत्नी बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. मेहनी पत्नी मोहनराम जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. ललित कुमार पुत्र मोहनराम जाति विश्नोई निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. सुवटी पत्नी रामकरण जाति विश्नोई निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। प्रार्थीगण की खरीदशुदा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 128 रकबा 123–16 बीघा, खसरा नम्बर 183 रकबा 43–15 बीघा, खसरा नम्बर 187 रकबा 10–11 बीघा, खसरा नम्बर 239 रकबा 13–11 बीघा, खसरा नम्बर 604 रकबा 91–02 बीघा, खसरा नम्बर 629 रकबा 100–01 बीघा, खसरा नम्बर 634 रकबा 7–18 बीघा कुल रकबा 390–14 बीघा में 1/24 हिससा तथा खसरा नम्बर 549 रकबा 225–07 बीघा में 2/72 हिस्सा भूमि ग्राम जैसला पटवार क्षेत्र जैसला तहसील घंटियाली में आई हुई है। प्रार्थीगण ने पूर्व खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 सुवटी पत्नी रामरकण से उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीब, विक्रय पत्र के दिनांक 28.09.2004 को संयुक्त रू॰ से खरीद की थी तथा मौके पर उसी दिन कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जिसका यह अस्थयी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा बनता है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त ही तय किया जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)